<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-13082021-228955 SG-DL-E-13082021-228955

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] दिल्ली, बुधवार , अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 129 No. 229] DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SRAVANA 20, 1943 [N. C. T. D. No. 129

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

सं. फा. 14(73) / एलए—2021 / ALA1/76-85.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप—राज्यपाल की सहमति दिनांक 9 अगस्त, 2021 को प्राप्त कर ली है और इसको जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :--

दिल्ली माल और सेवा कर (सशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का दिल्ली अधिनियम 03)

(30 जुलाई, 2021 को राष्टोय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

(९ अगस्त, 2021),

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) में आगे संशोधन करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रारम्भ : (i) इस अधिनियम को माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जाएगा । (ii) धारा 6 को 1 जून 2021 से लागू माना जाएगा; शेष प्रावधान उस तारीख को लागू होंगे, जो राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करें ; और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग—अलग तिथियां नियत की जा सकती हैं।

4465 DG/2021 (1)

- 2. **धारा ७ का संशोधन**ः दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 201७ (जिसे इसमें इसके पश्चात् दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है), की धारा ७ में की उप–धारा (1) में, खंड (क) के पश्चात्, 1 जुलाई, 201७, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा। और किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—
- "(कक) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न है, द्वारा उसके सदस्यों या घटकों को या विपर्येन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार ;"।

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अभिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्य या घटकों को दो पृथक् व्यक्ति समझा जाएगा और कियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए समझे जाएंगे।

- 3. **धारा 16 का संशोधन**ः दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (2) के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- ''(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा बर्हिगामी पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किया गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं। ;''।
- 4. **धारा 35 का संशोधन**ः दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) का लोप किया जाएगा।
- 5. **धारा 44 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन**ः दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात:—
- "(44) इनपुट सेवा वितकर से भिन्न प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमितीक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जिसे विहीत किया जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्व—प्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगाः

परंतु आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान कर सकेगा :

परंतु यह और कि इस धारा में की कोई बात, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियां भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अधीन हैं या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, लागू नहीं होंगी ।"।

- 6. **धारा 50 का संशोधन:** दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उप–धारा (1) के परंतुक के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017, से निम्नलिखित परंतुक को रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात:–
- "परंतु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और शोध्य तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजन से विकलन करके संदत्त किया जाता है।"
- 7. **धारा 74 का संशोधन**: दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण (1) के खंड (ii) में, ''तो धारा 122, 125, 129 और 130'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''तो धारा 122 और 125'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।
- 8. **धारा 75 का संशोधन**: दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 75 की उप–धारा (12) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–
- 'स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'स्विनधिरित कर'' पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐंसी बिहर्गामी पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, सिम्मिलत होगा किन्तु धारा धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सिम्मिलत नहीं किया गया है।''। 9. धारा 83 का संशोधनः दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 83 की उप—धारा (1) के स्थान पर, निम्निलखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थातः—
- "(1) जहां, अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहीत की जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रुप से कुर्क कर सकेगा।"।
- 10. **धारा 107 का संशोधनः** दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''परंतु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।''।

- 11. **धारा 129 का संशोधनः** दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129 में,——
 - (i) उपधारा (1) में, खंड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-
- "(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर भुगतान पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है :

"(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;";

- (ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा;
- (iii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात:-
- "(3) माल या वाहनों को निरुद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, यथास्थिति, निरोध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस की तामिल की तारीख से सात दिन की अविध के भीतर आदेश पारित करेगा ।";
 - (iv) उप-धारा (4) में, "कर, ब्याज या शास्ति" शब्दों के स्थान पर, "शास्ति" शब्द रखा जाएंगे ;
 - (v) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात :-
- "(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) में यथाउपबंधित शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वहान, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जिसे विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा:

परंतु परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिगृहित किया गया माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में हास की संभावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अविध समुचित अधिकारी द्वारा, ऐसे समय के लिए जो वह ठीक समझे, कम की जा सकेगी ।''।

- 12. **धारा 130 का संशोधनः** दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 130 में,——
 - (क) उपधारा (1) में, ''इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई'' शब्दों के स्थान पर, ''जहां'' शब्द रखा जाएगा ;
 - (3) का लोप किया जाएगा।
- 13. धारा 151 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापनः सूचना मांगने की शक्ति।

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात;-

"151, आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जिसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा।"।

- 14. धारा 152 का संशोधनः दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 152 में.--
 - (क) उपधारा (1) में,---
 - (i) "कोई व्यष्टिक विवरणी या उसके भागी की" शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (ii) "ऐसी सूचना" शब्दों के पश्चात् "संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
 - (ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।
- 15. धारा 168 का संशोधनः दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (2) में.---
 - (i) "धारा 44 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 44" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
 - (ii) ''धारा 151 की उप–धारा (1)'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।
- 16. **अनुसूची 2 में संशोधनः** दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 में, पैरा 7 का 1 जुलाई, 2017 से लोप किया जाएगा और उक्त तारीख से उसका लोप हुआ समझा जाएगा।

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS NOTIFICATION

Delhi, the 11th August, 2021

No. F.14 (73)/LA-2021/ALA1/76-85.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 9th August, 2021 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2021 (DELHI ACT 03 OF 2021)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 30th July, 2021)

[9th August, 2021]

An Act to amend the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017)

BE it enacted by Delhi Legislature of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Second Year of the Republic of India as follows:-

- **1. Short title and commencement:-** (i) This Act may be called the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021.
 - (ii) Section 6 of the Act shall be deemed to have come into force from 1st June, 2021; remaining provisions shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint; and the different dates may be appointed for different provisions of this Act.
- **2. Amendment of Section 7:** In the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred as the Delhi Goods and Services Tax Act), in section 7, in sub-section (1), after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—
 - "(aa) the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or constituents or vice- versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration.

Explanation.—For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions inter se shall be deemed to take place from one such person to another;".

- **3. Amendment of section 16:** In section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (2), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—
- "(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;".
- **4. Amendment of section 35:** In section 35 of the Delhi Goods and Services Tax Act, sub-section (5) shall be omitted.
- **5. Substitution of new section for section 44 Annual return**: For section 44 of the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be substituted, namely:—
- "44. Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self- certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor- General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force."

6. Amendment of section 50: In section 50 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger."

- **7. Amendment of section 74**: In section 74 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in Explanation 1, in clause (ii), for the words and figures "sections 122, 125, 129 and 130", the words and figures "sections 122 and 125" shall be substituted.
- **8. Amendment of section 75**: In section 75 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (12), the following Explanation shall be inserted, namely:—
 - 'Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39.'
- **9. Amendment of section 83**: In section 83 of the Delhi Goods and Services Tax Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of section 122, in such manner as may be prescribed."
- **10. Amendment of section 107**: In section 107 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (6), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five per cent. of the penalty has been paid by the appellant.".

- **11. Amendment of section 129**: In section 129 of the Delhi Goods and Services Tax Act,
 - (i) in sub-section (1), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—
- "(a) on payment of penalty equal to two hundred per cent of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;
- "(b) on payment of penalty equal to fifty per cent. of the value of the goods or two hundred per cent of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;";
 - (ii) sub-section (2) shall be omitted;
 - (iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
- "(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or clause (b) of sub-section (1).";
 - (iv) in sub-section (4), for the words "No tax, interest or penalty", the words "No penalty" shall be substituted;
 - (v) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:—
- "(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3):

Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less;

Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer."

- **12. Amendment of section 130**: In section 130 of the Delhi Goods and Services Tax Act,—
 - (a) in sub-section (1), for the words "Notwithstanding anything contained in this Act, if", the word "Where" shall be substituted;

- (b) in sub-section (2), in the second proviso, for the words, brackets and figures "amount of penalty leviable under sub-section (1) of section 129", the words "penalty equal to hundred per cent of the tax payable on such goods" shall be substituted;
- (c) sub-section (3) shall be omitted.
- 13. Substitution of new section for section 151: Power to call for information.

For section 151 of the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be substituted, namely: —

- "151. The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein."
- **14. Amendment of section 152:** In section 152 of the Delhi Goods and Services Tax Act,—
 - (a) in sub-section (1),—
 - (i) the words "of any individual return or part thereof" shall be omitted;
 - (ii) after the words "any proceedings under this Act", the words "without giving an opportunity of being heard to the person concerned" shall be inserted;
 - (b) sub-section (2) shall be omitted.
- **15. Amendment of section 168**: In section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (2),—
 - (i) for the words, brackets and figures "sub-section (1) of section 44", the word and figures "section 44" shall be substituted;
 - (ii) the words, brackets and figures "sub-section (1) of section 151," shall be omitted.
- **16. Amendment to Schedule II**: In Schedule II of the Delhi Goods and Services Tax Act, paragraph 7 shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)